

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)



Central Bank of India
Regional Office, Ambikapur (C.G.)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखी गई

अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना:

आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता "सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पास बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा (संपत्ति के सामने विशेष रूप से उल्लिखित) सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बंधक समझौते के तहत लिया गया है, नीलामी के लिए रखी जाएगी तथा इसे नीचे उल्लिखित "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि की वसूली की जा सके। संबंधित सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लिखित है।

स. क्र.	उधारकर्ताओं/ शाखा का नाम	संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के मालिक / कब्जा का प्रकार	मांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य	शाखा नाम/ सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नंबर
			बकाया राशि कब्जा सूचना की तिथि	धरोहर जमा राशि बोली वृद्धि राशि	
01	मेसर्स संजय टेलीकॉम, प्रो. सुरेंद्र कुमार गुप्ता, मेन रोड वाडफनगर, जिला- बलरामपुर, शाखा: वाडफनगर.	खसरा नं. 493/6, रकबा- 0.030 हेक्टेयर, वार्ड नं. 13, राजेंद्र प्रसाद वार्ड, ग्राम एवं तहसील-वाडफनगर, जिला- बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। चौहद्दी: उत्तर- रूबी का प्लॉट, दक्षिण- 20 मीटर पहुँच सड़क, पूर्व- सड़क, पश्चिम- विक्रेता का प्लॉट।	20/06/2024	₹ 14,21,000	वाडफनगर श्री रोशन कुमार मो. 8618057342
			₹ 16,40,777/-	₹ 1,42,100	
				₹ 50,000	
			12/09/2024	हमारी जानकारी में कोई SA पेंडिंग नहीं है	
02	श्री रामाधार लहरे पुत्र रघुवीर लहरे, मेढारी, करमडीहा, वाडफनगर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़, पिन- 497225	श्री रामाधार लहरे के नाम पर खसरा नं. 145, ग्राम- मेढारी, प.ह. नं. 23, आरआईसी-वाडफनगर, वाडफनगर के अंदर, रामानुजगंज रोड, तहसील-वाडफनगर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़- 497225, क्षेत्रफल 0.53 हेक्टेयर में स्थित केवल संपत्ति भूमि। चौहद्दी: उत्तर- शिव, नारायण, आशिम का प्लॉट एवं प्लॉट नं. 141 शासकीय भूमि, दक्षिण- प्लॉट नं. 219/1 भीरू, प्लॉट नं. 219/2 लोलो एवं प्लॉट नं. 220/2 महावीर, पूर्व- 144/2 कबूतरी फुलपति का प्लॉट, प्लॉट नं. 143 शिवनाथ राजनाथ, पश्चिम- पवन कुमार एवं प्लॉट नं. 2223 जवाहिर व पनसाई।	17/10/2023	₹ 16,73,000	वाडफनगर श्री रोशन कुमार मो. 8618057342
			₹ 22,19,148/-	₹ 1,67,300	
			+ उस पर ब्याज व अन्य व्यय	₹ 50,000	
			10/04/2024	हमारी जानकारी में कोई SA पेंडिंग नहीं है	

निरीक्षण की तिथि एवं समय

21/07/2026

सुबह 10:00 बजे से 4:00 बजे के बीच

ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय

22/07/2026, दोपहर 3:00 बजे तक।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय

22/07/2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

ई-नीलामी "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ है आधार" पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों/ अधिकारों/ बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

2. बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगी: चरण 1- बोलीदाता/ क्रेता पंजीकरण: बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल <https://www.baanknet.com> पर पंजीकरण करना होगा। चरण 2- केवाईसी सत्यापन: बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें दो कार्य दिवस लग सकते हैं)। चरण 3 - ईएमडी राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरण: ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी/ ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन/ ऑफ-लाइन हस्तांतरण। चरण 1 से चरण 3 बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफ़ी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। पते के प्रमाण की प्रति, जिसके बिना बोली अस्वीकृत जा सकती है।

3. ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया अपनी बोलियां जमा करने और इसमें भाग लेने से पहले <https://www.baanknet.com> और सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.centralbankofindia.co.in देखें।

सफल बोली लगाने वाले को बोली की रकम का 25% (EMD काटकर) सफल बोली लगाने वाले के ऐलान के अगले दिन और बाकी 75% 15 दिनों के अंदर सेल इटिमेशन लेटर में बताए गए अकाउंट में जमा करना होगा (जो उसे जारी किया जाएगा)। अगर वह सेल इटिमेशन लेटर में बताई गई रकम जमा नहीं कर पाता है, तो पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी का नया ऑक्शन किया जाएगा। बोली लगाने वाले अपने ऑफिस/अपनी पसंद की जगहों से कोटेशन/बोली लगाकर ई-नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। हर बोली लगाने वाले को खुद इंटरनेट कनेक्टिविटी पक्की करनी होगी। बैंक/सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की दिक्कतों, सिस्टम क्रैश होने, बिजली जाने वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री

उधारकर्ताओं/गारंटर्स को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की ई-नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत की वसूली की जाएगी।

दिनांक : 20.06.2026

स्थान: अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्राधिकृत अधिकारी / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

के
मी
या
यों
को
50
और
कई
होने
बल
ओं
रु

को
ने
रित
कर
रत